प्रेस विज्ञप्ति

नौएडा प्राधिकरण द्वारा सैक्टर-94 में संचालित पशु शैल्टर में घायल/कमजोर पशुओ का इलाज किया जाता है । **पशु शैल्टर में खाद्य सामग्री एवं दवाईयों की आपूर्ति का भुगतान तथा पशु शैल्टर में तैनात समस्त कर्मियों के वेतन का भुगतान नौएडा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है ।** पशु शैल्टर के संचालन हेतु प्राधिकरण द्वारा श्रम आपूर्तिकर्ता के माध्यम से तैनात केयर टेकर/प्रभारी पशु शैल्टर द्वारा अपने कार्यों को ठीक से संपादित न करने, पशु शैल्टर के स्टाफ से कार्य ठीक से न कराने, अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन न करने तथा प्राधिकरण द्वारा पशुओं हेतु आवश्यक खाद्य सामग्री एवं दवाईयाँ तथा अन्य आवश्यकताएँ पूर्ण किये जाने के उपरान्त भी सोशल मिडिया पर पशु शैल्टर में प्राधिकरण द्वारा खाद्य सामग्री व दवाईयाँ उपलब्ध न कराये जाने का दुष्प्रचार किया जा रहा है । केयर टेकर के अंतर्गत श्रम आपूर्तिकर्ता के माध्यम से कार्यरत एक कर्मचारी श्री कुलदीप द्वारा खाद्य सामग्री का स्टॉक रजिस्टर खोने/चोरी करने तथा वित्तीय अनियमितता के दृष्टिगत थाने में FIR भी दर्ज की गई है । प्रशासनिक निर्णय के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा पूर्व संस्था को हटाने पर भी केयर टेकर द्वारा आपत्ति की जा रही है तथा अधिकारियों को भेजे जाने वाले पत्रों में असम्मानजनक/अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है । जिसके दृष्टिगत पशु शैल्टंर सैक्टर-94 में श्रम आपूर्तिकर्ता के माध्यम से तैनात केयर टेकर/प्रभारी पशु शैल्टर को notice जारी किया गया है । भविष्य में पशु शैल्टर के संचालन हेतु एजेन्सी तैनात किये जाने हेतु EOI आमंत्रित की जा रही है ।

Scanned with CamScanner